

भारतीय संवधान की प्रमुख वशिषताएँ

प्रलिमिन्स के लिये:

[भारतीय संवधान](#), [संघवाद](#), [न्यायकि समीक्षा](#), [संसदीय शासन प्रणाली](#), [धर्मनरिपेक्ष राज्य](#), [सार्वभौमकि वयस्क मताधिकार](#), [एकल नागरकिता](#), [नरिवाचन आयोग](#), [भारत के नरिंतरक एवं महालेखा परीक्षक](#), [संघ लोक सेवा आयोग](#), [आपातकालीन प्रावधान](#), [पंचायतें](#), [नगर पालकिाएँ](#), [सहकारी समतियाँ](#), [समानता](#), [स्वतंत्रता](#), [बंधुत्व](#), [सामाजकि न्याय](#), [नीतिनरिदेशक सदिधांत](#), [मौलकि अधिकार](#),

मेन्स के लिये:

[भारतीय संवधान](#) की मुख्य वशिषताएँ, [भारतीय संवधान](#) की आलोचना

भारतीय संवधान की प्रमुख वशिषताएँ क्या हैं?

■ सबसे लंबा लिखित संवधान:

- भारत का संवधान विश्व के सभी लिखित संवधानों में सबसे लंबा है। यह एक अतवि्यापक, और वसितृत दस्तावेज़ है।
- मूलतः (1949) संवधान में एक [प्रस्तावना](#), 395 अनुच्छेद (22 भागों में वभिजति) और 8 अनुसूचियाँ थीं।
 - वर्तमान में (2019), इसमें एक प्रस्तावना, लगभग 470 अनुच्छेद (25 भागों में वभिजति) और **12 अनुसूचियाँ** शामिल हैं।
- वसितृतता के कारण:
 - **भौगोलकि कारक** अरथात् देश की वशिालता और उसकी वविधिता।
 - ऐतहिासकि कारक जैसे [भारत सरकार अधनियम, 1935](#) का प्रभाव, जो बहुत बड़ा था।
 - केंद्र और राज्य दोनों के लिये एक ही संवधान।
 - संवधान सभा में **वधिवित्ताओं** का प्रभुत्व।
 - वसितृत प्रशासनकि प्रावधान।

■ वभिनिन स्रोतों से प्राप्त:

स्रोत	उधार ली गई सुवधाएँ
भारत सरकार अधनियम, 1935	संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालकिा , लोक सेवा आयोग , आपातकालीन प्रावधान , प्रशासनकि वविरण
ब्रिटिश संवधान	संसदीय सरकार , वधिका शासन , वधिाथी प्रक्रिया, एकल नागरकिता , कैबिनेट प्रणाली , वशिषाधिकार रटि , संसदीय वशिषाधिकार , द्वसिदनीयता
अमेरिकी संवधान	मौलकि अधिकार , न्यायपालकिा की स्वतंत्रता , न्यायकि समीक्षा , राष्ट्रपति पर महाभियोग , सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना , उपराष्ट्रपति का पद
आयरिश संवधान	राज्य के नीतिनरिदेशक सदिधांत , राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति
कनाडा का संवधान	एक मज़बूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का नहििति होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार कषेत्राधिकार
ऑस्ट्रेलियाई संवधान	समवर्ती सूची , व्यापार, वाणजिय और अंतर-संचालन की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
जर्मनी का वाइमर संवधान	आपातकाल के दौरान मौलकि अधिकारों का नलिंबन
सोवियत संवधान (USSR, अब रूस)	प्रस्तावना में मौलकि करत्व , न्याय का आदर्श (सामाजकि, आर्थकि और राजनीतकि)
फ्राँसीसी संवधान	प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता , समानता तथा बंधुत्व के आदर्श
दक्षिण अफ्रीकी संवधान	संवधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का नरिवाचन

■ कठोरता और लचीलेपन का मश्रण:

- भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है, बल्कि दोनों का मश्रण है।
- **अनुच्छेद 368** में दो प्रकार के संशोधनों का प्रावधान है:
 - कुछ प्रावधानों में संसद के **वशिष बहुमत**, अर्थात् प्रत्येक सदन के उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तहाई बहुमत तथा प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है।
 - कुछ अन्य प्रावधानों में संसद के वशिष बहुमत तथा कुल राज्यों के आधे से अधिक **सदस्यों के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकता है**।
- संविधान के कुछ प्रावधानों को सामान्य वधायी प्रक्रिया के अनुसार संसद के **साधारण बहुमत** द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
 - ये संशोधन **अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते**।

■ एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली:

- भारत का संविधान **संघीय शासन प्रणाली** स्थापित करता है।
- संविधान की संघीय वशिषता के अंतर्गत- **द्वैध शासन प्रणाली**, लिखित संविधान, शक्तियों का वभिजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, **स्वतंत्र न्यायपालिका** और द्विसिदनीयता जैसी सामान्य वशिषताएँ पाई जाती हैं।
- हालाँकि भारतीय संविधान में कई एकात्मक या गैर-संघीय वशिषताएँ भी हैं, जैसे कि एक सुदृढ़ केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान की नम्रता, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, **अखलि भारतीय सेवाएँ**, आपातकालीन प्रावधान इत्यादी।
- संविधान में **कहीं भी 'संघ' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है**।
- दूसरी ओर **अनुच्छेद 1** भारत को **'राज्यों का संघ'** बताता है, जिसका अर्थ है:
 - भारतीय संघ राज्यों के बीच **किसी समझौते का परिणाम नहीं है** तथा
 - **किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है**।
- भारतीय संविधान को वभिन्न रूप से 'स्वरूप में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक', **के.सी. व्हेयर** द्वारा **'अर्द्ध-संघीय'**, **मॉरिस जोनस** द्वारा **'सौदाकारी संघवाद'**, **ग्रेनविल ऑस्टिन** द्वारा **'सहकारी संघवाद'**, **आइवर जेनगिस** द्वारा **'केंद्रीकरण की प्रवृत्त वाला संघ'** के रूप में वर्णित किया गया है।

■ संसदीय शासन प्रणाली:

- भारत के संविधान ने अमेरिकी राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बजाय **ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली** को चुना है।
- संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली स्थापित करता है।
- भारत में संसदीय सरकार की वशिषताएँ हैं:
 - नाममात्र और वास्तविक कार्यकारी अधिकारियों की उपस्थिति
 - बहुमत दल का शासन
 - कार्यपालिका की वधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी
 - वधायिका में मंत्रियों की सदस्यता
 - **प्रधानमंत्री** या **मुख्यमंत्री** का नेतृत्व
 - नचिले सदन (**लोकसभा** या वधिनसभा) का वधितन
- भले ही भारतीय संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित है, लेकिन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं।
 - उदाहरण के लिये, भारतीय संसद **ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु निकाय नहीं है**।
 - भारतीय राज्य का एक निर्वाचित प्रमुख (गणतंत्र) होता है जबकि ब्रिटिश राज्य का एक वंशानुगत प्रमुख (राजतंत्र) होता है।

■ संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण:

- **संसद की संप्रभुता** का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है।
- अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान (अनुच्छेद 21) में नहित **'वधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया'** के विरुद्ध **'वधिकी उचित प्रक्रिया'** का प्रावधान करता है।
- इसलिये भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत को उचित रूप से संयोजित किया गया।
 - एक ओर सर्वोच्च न्यायालय **न्यायिक समीक्षा** की अपनी शक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
 - दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन कर सकती है।

■ एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका:

- भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है, जो एकीकृत होने के साथ-साथ स्वतंत्र भी है।
- देश में एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं।
- उच्च न्यायालय के अंतर्गत **अधीनस्थ न्यायालयों** का एक पदानुक्रम होता है, अर्थात् ज़िला न्यायालय और अन्य नचिली अदालतें।
- न्यायालयों की यह एकल प्रणाली **केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य कानूनों** को भी लागू करती है।
- सर्वोच्च न्यायालय एक **संघीय न्यायालय** है, अपील की सर्वोच्च न्यायालय/अदालत है, **नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है और संविधान का संरक्षक है**।
- संविधान ने न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिये नशिचित सेवा शर्तें आदि सहित इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु वभिन्न प्रावधान किये हैं।

■ मौलिक अधिकार: भारतीय संविधान का भाग III सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है:

- भारतीय संविधान का भाग III सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है:

अधिकार	अनुच्छेद
समानता का अधिकार	14-18
स्वतंत्रता का अधिकार	19-22
शोषण के वरिद्ध अधिकार	23-24
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	25-28
सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार	29-30
संवैधानिक उपचारों का अधिकार	32

■ राज्य के नीतिनिदेशक सिद्धांत:

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार **राज्य के नीतिनिदेशक सिद्धांत** भारतीय संविधान की एक 'नई विशेषता' है।
- इन्हें संविधान के **भाग IV** में सूचीबद्ध किया गया है।
- इन्हें **तीन व्यापक श्रेणियों** में वर्गीकृत किया जा सकता है:
 - समाजवादी
 - गांधीवादी
 - उदार बुद्धिजीवी
- मौलिक अधिकारों के विपरीत ये निर्देश गैर-न्यायोचिंतित हैं अर्थात् इनके उल्लंघन के लिये न्यायालय इन्हें लागू नहीं कर सकता है।
- संविधान स्वयं घोषित करता है कि 'ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा'।

■ मौलिक कर्तव्य:

- **मूल संविधान में नागरिकों** के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था।
- **स्वर्ण सहि समिति** की सिफारिश पर **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** द्वारा **आंतरिक आपातकाल (1975-77)** के दौरान इन्हें जोड़ा गया था।
- **86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002** ने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा।
- संविधान के **भाग IV-A** (जिसमें केवल एक **अनुच्छेद 51-A** शामिल है) में ग्यारह मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है।
- मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह स्मरण कराते हैं कि अपने अधिकारों का प्रयोग करने के साथ-साथ उन्हें अपने देश, समाज और साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी सचेत रहना चाहिये।
- ये भी **गैर-न्यायोचिंतित** प्रकृतियों के हैं।

■ एक धर्मनिरपेक्ष राज्य:

- भारत का संविधान एक **धर्मनिरपेक्ष राज्य** का प्रतीक है।
- यह किसी विशेष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है।
- भारतीय संविधान **धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा** को मूर्त रूप देता है अर्थात् सभी धर्मों को समान सम्मान देना या सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करना।

■ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार:

- भारतीय संविधान ने लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के आधार के रूप में **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** को अपनाया है।
- प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, उसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन आदि के आधार पर बना किसी भेदभाव के **वोट देने का अधिकार** है।
- **61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988** द्वारा वर्ष 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

■ एकल नागरिकता:

- भारतीय संविधान संघीय है और इसमें दोहरी राजनीति (केंद्र तथा राज्य) की परकिल्पना की गई है, लेकिन इसमें केवल **एकल नागरिकता** अर्थात् भारतीय नागरिकता का प्रावधान है।
- भारत में सभी नागरिक चाहे वे जसि भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं तथा उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

■ स्वतंत्र निकाय:

- भारतीय संविधान भारत में लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली की सुरक्षा के लिये प्रमुख स्तंभों के रूप में **स्वतंत्र निकायों** की स्थापना करता है:
 - स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु **नरिवाचन आयोग**।
 - केंद्र व राज्य सरकारों के खातों का लेखा-परीक्षण करने हेतु **भारत के नयितंत्रक और महालेखा परीक्षक**।
 - अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिये परीक्षा आयोजित करने तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु **संघ लोक सेवा आयोग**।
 - राज्य सेवाओं में भर्ती के लिये परीक्षा आयोजित करने तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने हेतु प्रत्येक राज्य में **राज्य लोक सेवा आयोग**।

■ आपातकालीन प्रावधान:

- भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी असाधारण स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाने के लिये **सित्तु आपातकालीन प्रावधान** हैं।
- इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे तर्क यह है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता व सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली और संविधान की रक्षा की जाए।
- संविधान में **तीन प्रकार की आपात स्थितियों** की परकिल्पना की गई है:
 - युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर **राष्ट्रीय आपातकाल** (अनुच्छेद 352)।
 - राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता (अनुच्छेद 356) या केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफलता (अनुच्छेद 365) के आधार पर **राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)**।

- भारत की वित्तीय स्थिरता या ऋण के खतरे के आधार पर **वित्तीय आपातकाल** (अनुच्छेद 360)।

■ **त्रस्तितरीय सरकार:**

- मूल रूप से भारतीय संविधान में दोहरी राजनीतिका प्रावधान था और इसमें केंद्र तथा राज्यों के संगठन एवं शक्तियों के संबंध में प्रावधान थे।
- **73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** ने सरकार का एक तीसरा स्तर (यानी स्थानीय) जोड़ा है जो वशिव के कसी अन्य संविधान में नहीं पाया जाता है।
 - 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में एक नया भाग IX और एक नई अनुसूची 11 जोड़कर पंचायतों (ग्रामीण स्थानीय सरकारों) को संवैधानिक मान्यता दी।
 - 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में एक नया भाग IX-A और एक नई अनुसूची 12 जोड़कर नगर पालिकाओं (शहरी स्थानीय सरकारों) को संवैधानिक मान्यता दी।

■ **सहकारी समितियाँ:**

- 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया।

भारतीय संविधान की आलोचनाएँ क्या हैं?

आलोचना	खंडन
उधार लया गया संविधान	संविधान निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उधार ली गई वशिष्टताओं को अनुकूलति और संशोधति किया ताकि उनकी कमियों को दूर रखा जा सके।
भारत सरकार अधिनियम, 1935 की कार्बन कॉपी	हालाँकि कई प्रावधान उधार लिये गए थे, कति संविधान केवल एक प्रत नहीं है। इसमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और परिवर्धन शामिल हैं।
गैर-भारतीय या भारतीय वशिधी	वदिशी स्रोतों से उधार लिये जाने के बावजूद संविधान भारतीय मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है।
गैर-गांधीवादी	हालाँकि यह स्पष्ट रूप से गांधीवादी नहीं है, कति संविधान गांधी के अनेक सिद्धांतों के साथ संरेखति है।
हाथी के आकार (Elephantine)का	भारत की वविधिता और जटलिता को प्रबंधति करने के लिये संविधान की वसित्त परकृति आवश्यक है।
वकीलों का स्वर्ग	स्पष्टता और प्रवर्तनीयता के लिये कानूनी भाषा आवश्यक है।

नषिकर्ष

भारतीय संविधान एक **गतशील और अनुकूलनीय दस्तावेज़** है, जो भारत की जटलि वविधिता और वकिसति होते सामाजकि-राजनीतकि परदृश्य को दर्शाता है। **कठोरता और लचीलेपन** का इसका मशिरण, एकात्मक पूरवाग्रह के साथ संधीय संरचना व मौलकि अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश इसे शासन के लिये एक लचीला ढाँचा बनाता है। आलोचनाओं के बावजूद संविधान के उधार तत्त्वों को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप **सावधानीपूर्वक संशोधति किया गया**, जसिसे राष्ट्र के लोकतांत्रकि सिद्धांतों और संस्थानों को आकार देने में **इसकी प्रासंगकिता एवं स्थायी महत्त्व सुनिश्चिति हुआ।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तवकि संवैधानकि स्थति कया थी? (2021)

- एक लोकतांत्रकि गणराज्य
- एक संप्रभु लोकतांत्रकि गणराज्य
- एक संप्रभु धर्मनरिपेक्ष लोकतांत्रकि गणराज्य
- एक संप्रभु समाजवादी धर्मनरिपेक्ष लोकतांत्रकि गणराज्य

उत्तर: B

प्रश्न . भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वतिरण नमिनलखिति में दी गई योजना पर आधारति है: (2012)

- मॉरले-मटि सुधार, 1909
- मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1919
- भारत सरकार अधिनियम, 1935
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न: धर्मनरिषेक्षता के प्रतभारतीय संवधान के दृषुकिण से फ्रूस क्या सीख सकता है? (2019)

प्रश्न: नजिता के अधकार पर सर्वोच्च नुयायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में मौलकि अधकारों के दायरे की जाँच कीजयि। (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/salient-features-of-indian-constitution>

